



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47856

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8541 वर्ष 2026

प्रेम चंद

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 17 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : राकेश कुमार वर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. पी. शुक्ला को सुना तथा अभिलेखों का परिशीलन किया।
2. याची ने वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है:-

"क. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत वाद संख्या 688/2023, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202315090200688 (प्रेम चंद बनाम एल.एम.सी., बहादुरा और अन्य) में तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 209-ज के अंतर्गत वाद संख्या 8819 वर्ष 2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202515090208819 (सुभाष बनाम प्रेम चंद और अन्य) में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2023 के साथ-साथ आदेश दिनांक 03.02.2026 का अनुपालन करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 2 को निदेशित और समादेशित करते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निदेश जारी करें।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2-उप जिलाधिकारी, तहसील-सिकंदरपुर, जिला बलिया ने दिनांक 18.07.2023 और 03.02.2026 के आदेश पारित किए हैं, किंतु उनका अनुपालन नहीं किया गया है।

4. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 18.12.2025 को निर्णीत अग्रणी रिट सी संख्या **35470 वर्ष 2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य)** सहित रिट याचिकाओं के एक समूह में, पैरा संख्या 44 से 46 में कतिपय निदेश दिए गए थे जो इस प्रकार पढ़े जाते हैं:-

"44. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 उप जिलाधिकारी को सीमा विवादों के संक्षिप्त निपटान के लिए वैधानिक अर्द्ध-न्यायिक शक्तियों के साथ-साथ सीमांकन और कब्जा बहाली के लिए आज्ञापक प्रवर्तन प्राधिकार प्रदान करती है। निष्पादन विवेकाधीन नहीं है बल्कि उपबंध की प्रभावशीलता का अभिन्न अंग है-प्रवर्तन में विफलता संपूर्ण संक्षिप्त तंत्र को निष्फल कर देती है और विधायी आशय को विफल कर देती है। तैयार किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों का उद्देश्य वैधानिक आदेशों (संहिता, 2006 की धारा 24; नियमावली, 2016 के नियम 22), कार्यपालक अनुदेशों (दिनांक 16.12.2025 का शासनादेश), प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों और निष्पक्षता एवं लोक व्यवस्था की संवैधानिक अनिवार्यताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए एक संरचित ढांचा प्रदान करना है। संबंधित प्रत्यर्थी, विशेष रूप से उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए विधि के अधीन आबद्ध हैं कि धारा 24 के अंतर्गत आदेशों को प्रभावी ढंग से प्रवर्तित किया जाए।

45. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य, राज्य के भीतर सभी राजस्व प्राधिकारियों को पूर्वोक्त दिशा-निर्देशों का राज्यव्यापी परिपत्रण सुनिश्चित करेंगे। आज्ञापक प्रशिक्षण और आर.सी.सी.एम.एस. प्रोटोकॉल का अनुपालन प्रदान करने के लिए एक तंत्र भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

46. प्रत्यर्थियों, विशेष रूप से संबंधित उप जिलाधिकारियों को रिट याचिका के वर्तमान समूह में सभी विषयगत आदेशों को, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर, अनुमोदित स्थल ज्ञापन/सीमांकन आख्या के कड़ाई से अनुसार, सीमा चिह्नों का निर्धारण सुनिश्चित करके और जहां भी आवश्यक हो, कब्जा बहाली सुनिश्चित करके, तत्काल निष्पादित करने का निदेश दिया जाता है।"

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मामले के इस परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान रिट याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिनांक 18.07.2023 और 03.02.2026 के आदेशों का कड़ाई से विधि के अनुसार तथा साथ ही ऊपर उद्धृत मीना देवी (उपरोक्त) के मामले में की गई टिप्पणियों के अनुसार अनुपालन करने का निदेश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

मार्च 9, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।